कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल–शिक्षा) जोधपुर संभाग जोधपुर

पुलिस लाईन रातानाडा के सामने, जोधपुर (राजस्थान) दूरभाष 0291–2511091
ई–मेल jdsejodhpur@gmail.com

कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./व.अ.–उर्दू (नॉनटीएसपी)–2018/2020/ दिनांक 13.08.2020 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 विषय–उर्दू (नॉनटीएसपी) में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए सुपुर्द करने के फलस्वरूप दिनांक 17.08.2020 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित निम्नांकित आशार्थी द्वारा पदस्थापन विकल्प प्रस्तुत करने पर इन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के वेतन लेवल 11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26,500/– (छब्बीस हजार पॉच सौ रुपये) प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रुप में देय होगा।

क्रं. सं.	अभ्यर्थी का फोटो	रोल नं./ मेरिट नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन /नियत पारिश्रमिक
1		710604/ (8)	वहीदुल्ला	इब्राहीम	07.08.1984	BC	GENM	राउमावि कोनरा (चौहटन–बाडमेर)	नियत पारिश्रमिक

इनका पदस्थापन परामर्श कैम्प के माध्यम से निम्नानुसार शर्तों के अध्याधीन किया जाता है:–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक, भर्ती परीक्षा–2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगें।
7. वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों का आवंटन एवं पदस्थापन आदेश वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 के संबंध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन समान याचिकाओं के अन्तिम निर्णयाधीन रहेंगे।

विद्यालय आवंटन के पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :–

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र एवं नियुक्ति पत्र पर अंकित फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति

क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

5. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
6. संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण पत्रों से जॉच की जानी आवश्यक हैं इसके अतिरिक्त यदि उल्लेखित अभ्यर्थियों के वर्ग इत्यादि में यदि अन्तर/भिन्नता पाये जाने पर अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि निदेशालय कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की जॉ की जा सकें।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
9. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
10. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्याताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 31.08.2020** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संयुक्त निदेशक (स्कूल–शिक्षा)
जोधपुर संभाग,जोधपुर

क्रमांकः–ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईए/आरपीएससी 2018/व0अ0 उर्दू/2020/941 दिनांकः– 17/08/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाडमेर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बाडमेर।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चौहटन बाडमेर।
11. संबंधित संस्था प्रधान/ अभ्यर्थी।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (स्कूल–शिक्षा)
जोधपुर संभाग,जोधपुर